आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 03.04.2023 से 09.04.2023)

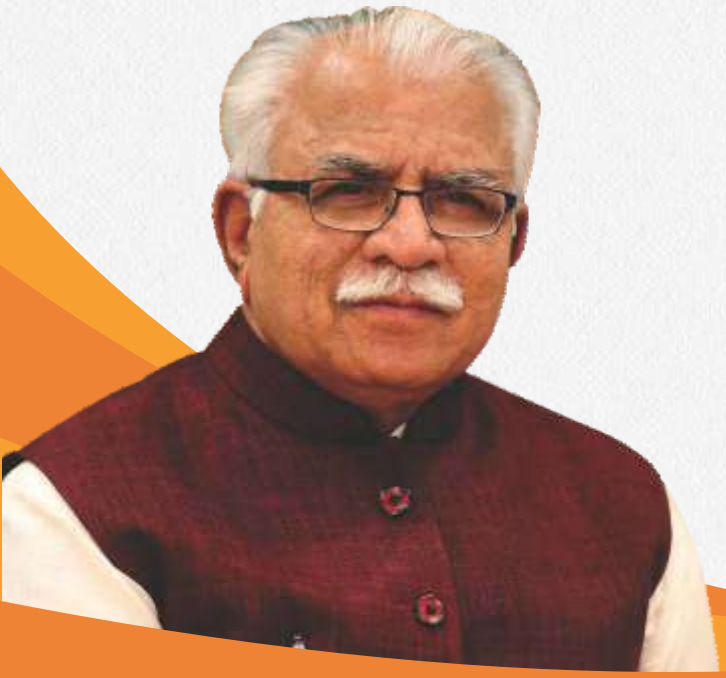

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

तीन दिवसीय भिवानी दौरा

(दिनांक 03.04.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भिवानी जिले के दौरे के दौरान धनाना तिगड़ाना, बलियाली, और बापोड़ा जैसे कई गांवों में ग्रामीणों से जन संवाद कर कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों की योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया है। अब नागरिक घर बैठे ही मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे। उन्होंने कहा कि धनाना गांव के 5582 लोगों के आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इनमें से 122 लोगों ने अब तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया है। धनाना गांव के 1687 लोगों के नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष की आयु होते ही अब बुढ़ापा पेंशन अपने आप बन रही है। इस गांव में 11 लोगों की पेंशन ऑटोमेटिक बनी है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

उन्होंने कहा कि धनाना गांव के 36 परिवारों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाया गया है। इतना ही नहीं, गांव धनाना के 99 युवाओं को नौकरी मिली है। ये सरकार की पारदर्शी नीति का ही परिणाम है। हमारी सरकार मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरी दे रही है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ई–टेंडरिंग के माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता आई है और कार्यों की गति भी बढ़ी है। धनाना ग्राम पंचायत के तीनों सरपंचों को निर्देश देते हुए कहा कि वे मिलकर गांव के विकास के लिए एक सांझी योजना तैयार करें। इसके अलावा, धनाना गांव में बस्ती में गंदे पानी की सप्लाई को 7 दिन में दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

ग्रामीणों की शराब के ठेके को गांव से बाहर करने की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठेके को गांव से बाहर करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की लाल डोरा से संबंधित समस्या पर मुख्यमंत्री ने बताया कि धनाना गांव का 24 मार्च को नक्शा

फाइनल कर दिया गया है और जल्द ही गांव को लालडोरा मुक्त कर दिया जाएगा। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिवानी जिले के धनाना गांव के खरीद केंद्र को 2 एकड़ से 6 एकड़ में विकसित करने की भी घोषणा की।

माननीय मुख्यमंत्री जी गांव धनाना निवासी बॉक्सिंग वर्ल्ड चौम्पियन नीतू घनघस को उनकी उपलब्धि पर बधाई देने उनके घर पहुंचे। नीतू को आशीर्वाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप खेल के मैदान में प्रदेश को गौरवांवित करें सरकार आपके साथ है। उन्होंने बताया कि खेलों में प्रतिभाओं को तराशने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे हरियाणा के खिलाड़ी विश्व स्तर पर हमें गौरवान्वित कर रहे हैं।

इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान के लिए देशभर में प्रेरणा का स्त्रोत बने भिवानी जिला के

दूल्हेडी गांव में पहुंचे। उन्होंने कहा कि दूल्हेडी गांव ने पूरे देश में स्वच्छता का संदेश देने का काम किया है, जिसके लिए ग्रामवासी बधाई के पात्र हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं मन की बात कार्यक्रम में दूल्हेडी गांव की स्वच्छता अभियान के लिए प्रशंसा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 135 बड़े गांवों में स्वच्छता अभियान के तहत ट्रैक्टर ट्रॉली दी जाएगी और जरूरत अनुसार सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरे गांवों को भी दूल्हेडी को मॉडल मानकर स्वच्छता अभियान का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने भिवानी के उपायुक्त व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भिवानी जिले में दुल्लेडी मॉडल के आधार पर गांव के अंदर सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, वहां 1– 2 एकड़ भूमि के अंदर गांव के कूड़े कचरे को इकट्ठा कर कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी। इस खाद को बेचकर गांव की पंचायत की आमदनी हो सकती है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूल्हेडी गांव की युवा स्वच्छता जन सेवा समिति को गांव की सफाई के लिए 5 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की।

साप्ताहिक सूचना पत्र

साप्ताहिक सूचना पत्र

मंत्रिमंडल की बैठक

(दिनांक 05.04.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण मसौदों/निर्णय की स्वीकृति प्रदान की गई। जोकि निम्नप्रकार से हैं

सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (SMDA), सोनीपत, 2023 विधेयक के मसौदे को मंजूरी इस विधेयक के बनने से शहरी सुविधाओं का विकास और प्रावधान, गतिशीलता प्रबंधन, शहरी पर्यावरण का सतत प्रबंधन और सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास भी होगा।

सरकार ने गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA), गुरुग्राम, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (FMDA), फरीदाबाद और पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (PMDA), पंचकुला की तर्ज पर सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट

अथॉरिटी (SMDA), सोनीपत की स्थापना करने का फैसला किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य सोनीपत मेट्रोपॉलिटन एरिया के निरंतर, निरंतर और संतुलित विकास के लिए एक दृष्टि विकसित करना है।

नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सी.आर.आई.डी.) को हरियाणा सरकार के कार्य (आवंटन) नियम, 1974 को मंजूरी

सी.आर.आई.डी. ने प्रदेशभर में पी.पी.पी. को लागू किया है और साथ ही हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों/एजेंसियों की विभिन्न योजनाओं/पोर्टेबल में ई–गवर्नेंस सिद्धांतों का एकीकरण किया है। लगभग 73 लाख परिवारों ने पी.पी.पी. पर अपना डेटा अपडेट किया है, जिसमें 2.89 करोड़ व्यक्तिगत सदस्य शामिल हैं।

पी.पी.पी. डेटाबेस में विभिन्न क्षेत्रों के 80 प्रतिशत से अधिक डेटा को या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या कस्टमाइज्ड एस.ओ.पी. के माध्यम से भौतिक सत्यापन के माध्यम से सत्यापित किया गया है। सी.आर.आई.डी. की स्थापना के बाद, हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एच.ए.आर.एस.ए.सी.) को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से सी.आर.आई.डी. में स्थानांतरित कर दिया गया था।

इसके अलावा, हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी.आई.टी.ई.सी.एच.) के कुछ कार्यों और इकाइयों का सी.आर.आई.डी. में विलय कर दिया गया है।

लाइसेंसशुदा कॉलोनियों में फेजिंग हेतु नीति तथा ले–आउट प्लान और बिल्डिंग प्लान के पुनरीक्षण के लिए दो–तिहाई आवंटियों से सहमति लेने की स्वीकृति प्रदान।

इस नीति का उद्देश्य ले–आउट और भवन नक्शों के संशोधन से जुड़े मामलों में आपत्तियां, सुझाव आमंत्रित करने और आबंटियों की सहमति लेने की आवश्यकता के संदर्भ में मुद्दों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। नीति का लक्ष्य वर्तमाल लाईसैंसों पर

उठ रहे अधिकांश विवादों का समाधान करने के साथ–साथ ले आउट प्लान को संशोधित करना है।

इन कालोनियों में व्यक्तिगत इकाई की आवश्यकताओं के लिए एकीकृत युनिट सौर ऊर्जा संयंत्रों का प्रावधान, भंडारण, शुद्धिकरण और वर्षा जल के पानी की आपूर्ति का कोई बाहरी स्रोत न होने पर न्यूनतम भूजल निकासी को बंद करने खेती, फ्लशिंग और घरेलू पानी की आवश्यकताओं को अलग से पूरा करने के लिए रिसाईकलिंग व सीवेज उपचार संयंत्र, स्वतंत्र वितरण प्रणाली सुविधाओं का उद्देश्य संशोधनों की प्रमुख विशेषताओं में शामिल करना है।

पंजाब गांव सांझा भूमि (विनियमन) नियम, 1964 के उप–नियम (2क) में संशोधन

इसके द्वारा गौशालाओं में पट्टा धारक को कुल पशु जनसंख्या का कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशुओं को पट्टा अवधि के दौरान गौशाला में रखना होगा। ग्राम पंचायत को अपनी भूमि आवंटन के माध्यम से 20 वर्ष तक की अवधि के लिए कम से कम प्रति वर्ष 5100 रुपये प्रति एकड़ की दर से पट्टे पर देने की अनुमति होगी। धार्मिक संगठन को समाज के लिए परोपकारी योगदान के इतिहास के साथ उनके पूर्वजों को सत्यापित किया गया है जिसे जिला स्तरीय समिति और

हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित किया जाएगा। शामलात देह में किसी भी भूमि को गौशाला निर्माण के उपरान्त प्रति 100 पशुओं (कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशु) के लिए 0.75 एकड़ के अनुपात में गौशाला की स्थापना हेतु पट्टे पर देने की अनुमति दी जायेगी।

शामलात देह में किसी भी भूमि को बायोगैस संयंत्र, पंचगव्य उत्पाद, पशु चिकित्सा अस्पताल, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र आदि जैसे सहायक उद्देश्यों के लिए 1500 पशुओं (कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशु) वाली गौशाला को 2 एकड़ भूमि पट्टे पर देने की अनुमति दी जाएगी।

हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान

इन नियमों को हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 2023 कहा जा सकता है। संशोधन के अनुसार अब ''स्वयं का वाहन'' का अर्थ संबंधित सरकारी कर्मचारी या उसके पति या पत्नी या उसके द्वारा अपने परिवार के सदस्यों यानी माता–पिता, सगा भाई या बहन के नाम पर पंजीकृत निजी वाहन होगा।

उक्त संशोधन के अनुसार सरकारी कर्मचारियों, जो सार्वजनिक हित में वाहन से या अपने निजी वाहन से यात्रा करने के पात्र हैं, के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए परिभाषित किया गया है।

इंजीनियरिंग कार्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में सुधार के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण स्थापना की मंजूरी

यह प्राधिकरण इंजीनियरिंग कार्यों में गुणवत्ता और उसके प्रबंधन के लिए मानदंड और मानक स्थापित करेगा और अधिसूचित करेगा। साथ ही, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और केंद्रों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों को अधिसूचित करेगा। यह प्राधिकरण गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और

केंद्रों को मानकों के आधार पर मान्यता देगा और गुणवत्ता परीक्षण प्रक्रिया में उनकी अखंडता की निगरानी करेगा और इंजीनियरिंग कार्यों को लागू करने वाले राज्य सरकार के विभागों और उनके स्वामित्व वाले और नियंत्रित संगठनों द्वारा किए गए इंजीनियरिंग कार्यों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन के लिए मानदंड और मानक स्थापित करेगा।

उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण सेवा अनिवार्य

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप–सी और ग्रुप–डी पदों पर सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग http:èèonetimeregn.haryana.gov.in पद पोर्टल पर अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया। भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने और भर्ती उद्देश्य विशेष रूप से कंप्यूटर डेटा में फर्जी या डुप्लीकेट उम्मीदवारों की अनावश्यक जानकारी को समाप्त करने में सहायता के लिए यह निर्णय लिया गया है। इससे

सीधी सरकारी भर्ती प्रक्रिया में विश्वसनीयता भी सुनिश्चित होगी।

'द हरियाणा डिस्पोजल ऑफ रेंटेड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पॉलिसी–2023' को स्वीकृति प्रदान

यह नीति सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों को अपनी संपत्ति (दुकानों/मकानों), जो कि पिछले 20 वर्षों या उससे अधिक समय से किराए या पट्टे के माध्यम से व्यक्तियों या निजी संस्थानों के कब्जे में हैं, उस संपत्ति को बेचने के लिए एक व्यापक नीति है। सरकार के संज्ञान में आया है कि राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के स्वामित्व वाली कई संपत्तियां हैं जिन्हें 20 साल से अधिक समय पहले अलग–अलग व्यक्तियों या निजी संस्थाओं को पट्टे या किराए पर दिया गया था।

सरकार ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि चूंकि इन संपत्तियों को काफी समय पहले किराए/पट्टे पर दिया गया था, इसलिए किराये या पट्टे के किराये के रूप में केवल एक मामूली राशि तय की गई थी, जबकि संपत्ति का मूल्य कई गुना ज्यादा था।

हरियाणा सरकार ने 1 जून, 2021 को नगर निकायों द्वारा दुकानों और घरों की बिक्री के लिए एक नीति अधिसूचित की थी, जहां 20 वर्ष या उससे अधिक समय से संपत्ति का कब्जा नगरपालिका निकायों या उसके पूर्ववर्ती निकायों के अलावा अन्य संस्थाओं के पास है।

हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान

इन नियमों को हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) प्रथम संशोधन नियम, 2023 कहा जाएगा। ये नियम अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। वर्तमान नियमों के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी, जो सेवा के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है, उसे 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से कम से कम तीन महीने पहले अपने विभागाध्यक्ष को जानकारी देनी होगी और स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं विज्ञान

साप्ताहिक सूचना पत्र

संस्थान, रोहतक के निदेशक की अध्यक्षता वाले चिकित्सा बोर्ड से या स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ के निदेशक द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड से उसकी चिकित्सकीय जांच करवाई जाएगी। बोर्ड से चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी या विभागाध्यक्ष, जो भी उच्च पद पर वरिष्ठड्ड हो, वह अंतिम निर्णय लेगा कि ऐसे शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारी की सेवा विस्तार करनी है या नहीं। संशोधन के उपरान्त चिकित्सा जांच पोस्ट ग्रेजुएट इंस्च्यूट ऑफ मेडिसन एंड साइंस चण्डीगढ़ से भी करवाई जा सकेगी।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर कहा कि बैठक में कुल 36 एजेंडे रखे गए जिनमें में 33 महत्वपूर्ण एजेंडों को अंतिम रूप दिया गया।

गौचरान भूमि को 20 साल के लिए 5100 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं को गौशालाएं खोलने के लिए लीज पर देने का निर्णय लिया गया। आयुष को प्रोत्साहन देने के लिए कर्मचारियों को

आयुष पद्धति से ईलाज करवाने पर बिलों की प्रतिपूर्ति करने की भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा में पहले से ही तीन मैट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्य कर रही है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में सोनीपत मैट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी गठन किया गया है। इसके अलावा रेशनलाइजेशन आयोग को भी अनुमति प्रदान की गई है। यह आयोग विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की पद संख्या, नियमों आदि के बारे में विस्तार से 6 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। शहरी निकाय विभाग द्वारा बनाई गई स्वामित्व शहरी योजना के तहत अब तक किराए की सम्पतियों की एक हजार रजिस्ट्री की जा चुकी है। कई शहरों में विभाग, बोर्ड, निगम, जिला परिषद आदि के नाम पर संपत्ति है और लोगों ने कई सालों से उसे लीज व पट्टे पर ले रखा है, उन्हें मालिकाना हक देने के लिए पॉलिसी बनाई गई है। इस पॉलिसी के तहत 100 वर्ग गज तक के प्लाट, दुकान आदि की रजिस्ट्री की जा सकेगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

उपहार वितरण समारोह

(दिनांक 07.04.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास संत कबीर कुटीर पर आयोजित उपहार वितरण समारोह में सहयोग देने वाले लोगों को मुख्यमंत्री जी ने सम्मान सहित ये उपहार वितरित किए।

समाज के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री उपहार योजना के रूप में शुरू की गई एक ओर अनूठी पहल को बड़ी सफलता मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सार्वजनिक जीवन में सादगी का एक ओर उदाहरण पेश करते हुए उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों में सामाजिक संस्थानों या व्यक्तियों द्वारा सम्मान स्वरूप प्राप्त उपहारों को समाज भलाई में लगाने का निर्णय लिया था।

पहले चरण में 51 उपहारों के लिए लोगों ने 1 करोड़ 14 लाख 95 हजार रुपये की सहयोग राशि दी। इस अवसर पर उन्होंने उपहार प्राप्त करने वाले लोगों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि इन उपहारों से प्राप्त सहयोग राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया गया है और इसे जनकल्याण के कार्यों पर खर्च किया जाएगा।

उन्होंने उपहार प्राप्त करने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के प्रबुद्ध लोगों को समाज सेवा के भाव से जन कल्याण के लिए जोड़ने हेतु यह पहल आरंभ की गई। आप सभी का आभार जिन्होंने इस पहल में सहयोग किया।

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी समय–समय पर मिले बहुमूल्य उपहारों को भी जनसेवा के लिए उपयोग किया जाता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशभर से उन्हें मिले लगभग 1200 उपहारों के माध्यम से मिली सहयोग राशि का उपयोग नमामि गंगे मिशन में किया। उनके इस विचार से प्रेरित होकर ही हरियाणा में भी उपहारों से प्राप्त सहयोग राशि को समाज के कल्याण कार्यों में लगाने का निर्णय लिया।

साप्ताहिक सूचना पत्र

जनसंवाद पोर्टल की शुरूआत

(दिनांक 07.04.2023)

प्रभाव : गांवों के विकास के बिना ग्राम स्वराज की अवधारणा पूरी नहीं हो सकती, महात्मा गाँधी के इस सिद्धांत पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के साथ मुख्यमंत्री जनसंवाद की शुरुआत की है।

इस कड़ी में जनता को एक और सहूलियत देते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर से जनसंवाद पोर्टल लॉन्च किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को नागरिकों द्वारा अपनी समस्याओं व शिकायतों की लिखित में दी गई जानकारी अब इस पोर्टल पर दर्ज होगी।

इस प्रकार की लिखित शिकायतों के कागजात कभी–कभी संबंधित अधिकारी तक नहीं पहुंच पाते थे लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान

केंद्र ने सीएम विंडो प्रणाली में ही यह जनसंवाद मॉड्यूल विकसित किया है। इस पोर्टल के बनने से अब नागरिकों द्वारा दी जाने वाली लिखित शिकायतों की जानकारी सिस्टम में दर्ज होगी। जिससे यह शिकायतें संबंधित अधिकारी के पास तय समय अवधि में पहुंचेगी और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। इस प्रणाली से अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी कि उन्हें तय समय सीमा में समस्या/ शिकायत का समाधान करना ही होगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

गुरुग्राम के सिकंदरपुर में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करना

(दिनांक 07.04.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सिकंदरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में 32 करोड़ रुपए की लागत से तैयार दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं नामतरू बसई चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे तक रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) तथा सिकंदरपुर जल निकाय के कायाकल्प एवं सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बसई में नवनिर्मित रेलवे ओवर ब्रिज, आने वाले समय में हीरो–होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे और आसपास के सेक्टर्स में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा साथ ही गुरूग्राम–झज्जर मार्ग पर पुराने आरओबी पर यातायात के दबाव को कम करेगा। गुरुग्राम में करीब 114 करोड़ रुपए की लागत से उमंग भारद्वाज चौक से नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड (एनपीआर) को जोडने़ वाले प्रोजेक्ट का

साप्ताहिक सूचना पत्र

हिस्सा इस फोर लेन आरओबी की लंबाई 910 मीटर है और इसके निर्माण पर 23 करोड़ रुपए की लागत आई है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिकंदरपुर के समीप 90 एकड़ क्षेत्र में विकसित जल निकाय के कायाकल्प व सौंदर्यीकरण से जुड़ी परियोजना का भी शुभारंभ किया। इस जल निकाय क्षेत्र को बहाल करने के लिए, अप्रैल 2019 में जीएमडीए और गैर सरकारी संस्था आईएमगुडगांव के बीच एक एमओयू हुआ था। इस जल निकाय के कायाकल्प पर 9.1 करोड़ रुपए की लागत आई। जिससे शहरों में व्यापक हरित रणनीति के तहत वन क्षेत्र को बढ़ावा मिला और पुराने जल निकाय को पुनर्जीवित किया गया। इस परियोजना को धरातल पर साकार करने में अनेक निजी संगठनों ने सीएसआर फंड से वित्तीय मदद प्रदान की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएसआर फंड के जरिए इस परियोजना को धरातल पर साकार करने वाले कॉरपोरेट समूहों व आई एम गुरुग्राम संस्था को बधाई दी। उल्लेखनीय है कि सिकंदरपुर जल निकाय को पुनर्जीवित कर इसके प्राकृतिक सौंदर्य को बहाल किया गया है। इस कार्य में आसपास के अतिक्रमणों को साफ करके, अन्य पहलों के बीच, जल निकाय में जमा हुए कचरे और मलबे को हटाया गया और जल निकाय में सीवेज के प्रवाह को बंद कर दिया गया।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सबको मिलकर ही पानी बचाने की इस मुहिम को जन आंदोलन बनाना होगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

गुरुग्राम के करण कटारिया के परिजनों से मुलाकात

(दिनांक 07.04.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज शाम लंदन स्कूल ऑफ इक्नोमिक्स के छात्र करण कटारिया के गुरुग्राम स्थित घर पर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिजनों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना और करण कटारिया की उचित मदद करने का भरोसा दिया। गौरतलब है कि लंदन स्कूल आफ इकोनामिक्स में अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे गुरुग्राम के करण कटारिया पर आरोप लगाकर छात्रसंघ का चुनाव लडऩे से रोक दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले में करण कटारिया का पक्ष लेते हुए सम्बंधित संस्थान को पत्र भी लिखा है। उन्होंने परिजनों से मुलाकात के उपरांत बताया कि करण कटारिया एक मेधावी छात्र है और उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। करण कटारिया की सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

गुरुग्राम के सत्या स्कूल का शुभारंभ

(दिनांक 08.04.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरुग्राम के सेक्टर 49 स्थित सत्या स्कूल के शुभारंभ करने के उपरांत विद्यार्थियों, अभिभावकों व शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में हर बच्चे को शिक्षा के माध्यम से देश की मुख्यधारा में लाने के लिए जीरो ड्रॉप आउट की नीति पर काम किया जा रहा है ताकि अगले वर्ष तक प्रदेश में कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहें।

इसके लिए से 18 वर्ष आयु के करीब 48 लाख बच्चों के शिक्षा के स्टेटस को जानने के लिए ट्रैक किया जा रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल का उद्घाटन करने के उपरांत नवनिर्मित भवन का अवलोकन करते हुए अलग–अलग कक्षाओं व लैब में जाकर विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरक व्यक्तित्वों के बारे में भी बताया और सवाल भी पूछे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री

साप्ताहिक सूचना पत्र

स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम–श्री) योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना से अगले वर्ष तक प्रदेश के सभी 135 खण्डों में दो–दो अर्थात कुल 270 पीएम–श्री स्कूल खोले जाएंगे। हर खण्ड में यह मॉडल स्कूल होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इन स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है। जिसे देश भर में 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया लेकिन हरियाणा में इसे 2025 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा।

उन्होंने हरियाणा में शिक्षा के तंत्र को विकसित बनाने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कलस्टर योजना का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश के हर चार–पांच गांवों का एक क्लस्टर बनाया गया है। जिसमें एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ऐसा होगा जहां तीनों संकाय–कला, विज्ञान व वाणिज्य की पढ़ाई के साथ स्वरोजगार के लिए

बच्चों के कौशल को भी विकसित किया जाएगा। इसी तरह छात्राओं के शिक्षण संस्थानों तक आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिए छापसु (छात्रा परिवहन सुरक्षा) योजना के तहत 150 नई बसें भी खरीदी गई है और हर संस्थान में छात्राओं के परिवहन के लिए एक–एक नोडल अधिकारी भी लगाया गया।

माननीय मुख्यमंत्री जी भारती फाउंडेशन द्वारा प्रदेश के 40 विद्यालयों में निशुल्क दी जा रही शिक्षा के लिए भी संस्था की प्रशंसा भी की। सत्या स्कूल के चेयरमैन राकेश भारती मित्तल ने मुख्यमंत्री का संस्थान में पहुंचने पर स्वागत किया और हरियाणा सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को प्रशंसनीय बताया।

साप्ताहिक सूचना पत्र

एकीकृत समग्र स्वास्थ्य पर सी–20 शिखर सम्मेलन व अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन का उद्घाटन

(दिनांक 08.04.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में सिविल 20 (सी–20) के एकीकृत समग्र स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन (जी–20 के आधिकारिक कार्य समूहों में से एक) का दीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन करने उपरांत अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें 5एस यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सुरक्षा और स्वाभिमान के सिद्धांत पर काम करते हुए भूटान देश की तरह हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना होगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी हमें आगे बढ़ना होगा। एलोपैथी के साथ होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक पद्धति को भी महत्त्व देना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण आज पूरी दुनिया में योग पद्धति को अलग पहचान मिली है। हरियाणा सरकार ने भी आयुर्वेदिक पद्धति के महत्व को ध्यान

साप्ताहिक सूचना पत्र

में रखते हुए कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना की है। केंद्र सरकार के सहयोग से कुरुक्षेत्र में 250 एकड़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। प्रदेश में 700 वेलनेस सेंटर पर काम चल रहा है। इसके अलावा एक हजार पार्क व व्यायामशाला तैयार की जा रहीं हैं।

इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद में अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन का भी उद्घाटन किया। इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटें होंगी। इस मेडिकल कॉलेज के बनने से फरीदाबाद में तीन मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, इससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने परिसर में नवनिर्मित ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन किया। इस ऑडिटोरियम में लगभग 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड के हिसाब से राज्य में 28 हजार डॉक्टरों की आवश्यकता है। प्रदेश में प्राइवेट चिकित्सक मिलाकर 13 हजार डॉक्टरों की संख्या है। हरियाणा सरकार राज्य में चिकित्सकों की संख्या को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। अब प्रदेश के सभी 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने के साथ ही एमबीबीएस की सीटों की संख्या भी लगातार बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य ने आयुर्वेद व एलोपैथी का संयुक्त कॉलेज बनवाने की अनुमति भी मांगी है ।

साप्ताहिक सूचना पत्र

BPL राशन कार्ड धारकों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करना

(दिनांक 09.04.2023)

प्रभाव : परिवार पहचान पत्र में आय से संबंधित त्रुटियों के कारण जिन परिवारों के राशन कार्ड कट गए थे, उनमें से 2.30 लाख परिवारों के राशन कार्ड दोबारा बनाये गए हैं। ऐसे परिवारों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार गरीब व जरूरतमंदों की सरकार है। हम उनके कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इनका सरकार पर पहला हक है और प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है।

संवाद कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार की पारदर्शी नीति से पात्र नागरिक को योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

लाभार्थियों ने कहा कि राशन कार्ड कटने पर शिकायत दर्ज करवाने पर जिस प्रकार त्वरित कार्रवाई कर उनके राशन कार्ड दोबारा बनाये गए, उससे सरकार की नागरिकों के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता को दर्शाता है। अब हमें लगता है कि हमारी चिंता करने वाली भी हमारी ही सरकार है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि जिन परिवारों की आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, ताकि जरूरतमंद परिवार को इसका लाभ मिल सके। इस आह्वान का असर उस समय देखने को मिला जब अंबाला निवासी अजय कुमार, जो पेशे से मैकेनिक हैं, ने कहा कि जिस दिन उसकी आय 1 लाख 80 हजार रुपये से अधिक हो जाएगी, उसी दिन वह स्वयं ही सरकार से मिलने वाले सारे लाभ छोड़ देगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि धीरे–धीरे यह भी ध्यान में आया कि कुछ परिवार जो पहले बीपीएल श्रेणी में थे, वे परिवार संपन्न हो गए। कुछ परिवार ऐसे मिले, जिनके परिवार में किसी न किसी सदस्य को नौकरी मिल गई और कुछ परिवारों ने पिछले 3 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरी है और इनकम टैक्स का भुगतान किया है। इस प्रक्रिया के बाद सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई कि उनका राशन कार्ड गलत कट गया है। इस समस्या के समाधान

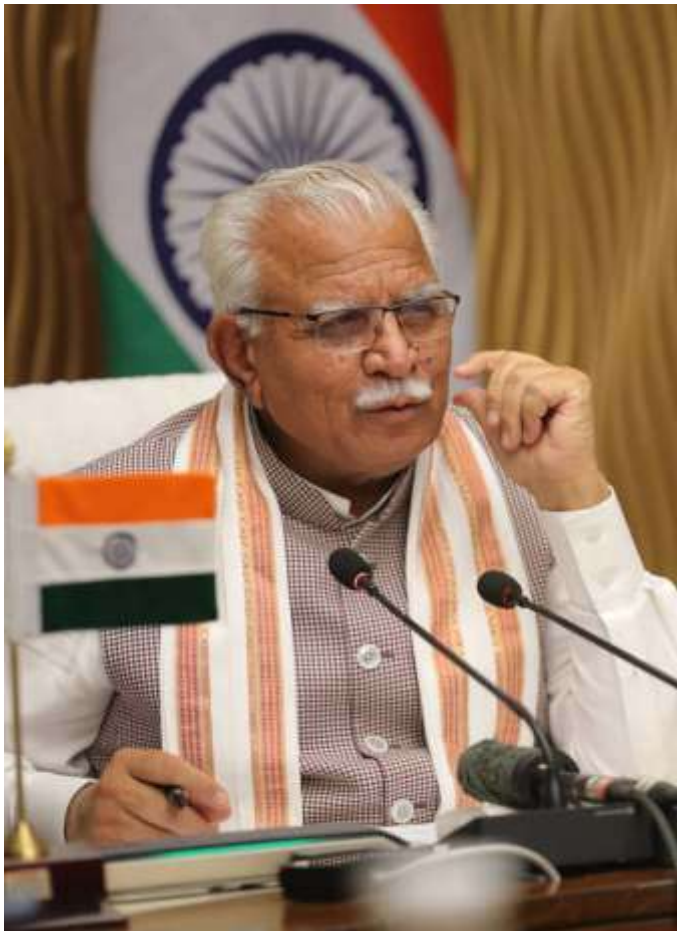

के लिए जनवरी, 2023 में ही नागरिकों से पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवाने का अनुरोध किया गया। शिकायतें प्राप्त होने के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करके लगभग 2.30 लाख परिवारों के राशन कार्ड दोबारा बनाये गए और उन्हें जनवरी माह का राशन भी प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी नीति और नीयत साफ है।